

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
कोटड़ी जिला वनाम उडा जाल

किस्म मुकदमा राजशब्द नाड 88,188

नं.....69/19 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>मांग। प्रतिवादी - वकील ने पूर्व में CPC Order का प्रार्थना-पत्र पेश किया था जिस पर बहस सुनी गयी एवं प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। पत्रावली में संशोधित टाइम लगाया जावे। पत्रावली वास्त जवाब दि. 18/9/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)</p> <p>पत्रावली पत्र हुकम आमबादा प्रतिवादी उभयपक्ष भीलवाडी अधिकारी महीदय अन्न राज्य कार्य में आस्त / दार पत्र / प्रवक्ता मय पत्रावली से 23/9/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी</p> <p>पत्रावली पत्र हुकम आमबादा प्रतिवादी उभयपक्ष भीलवाडी अधिकारी महीदय अन्न राज्य कार्य में आस्त / दार पत्र / प्रवक्ता मय पत्रावली से 27/9/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी</p> <p>27/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली प्रतिवादी का जवाब हेतु दि. 10/10/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)</p>	<p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

तारीख
हुकम

किसम मुकदमा
संख्या
हुकम या कार्यवाही मया इतिहासला पत्र

10/10/19

पत्रावली पेश हुई। बाड़ी अधिकतम
रु. 1000/- का अनुपात। पत्रावली
में दोनों पक्षों का खार. खार (3)
का अवाजे लगाई गई परन्तु कोई
उपासना नहीं आया। पत्रावली में
कोई उपासना नहीं आने पर पत्रावली
का अन्त पर खारिज किया
जाता है। अडम एवम् - अडम पेशवी
में खारिज किया जाता है।
पत्रावली पेशल शुक्रार दोकर
रखने में काम हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी (भीलवाड़ा)